

दिनांक:—26.06.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी प्रार्थना-पत्र 151 सी.पी.सी. चलाना नहीं चाहते हैं। मूल वाद 212 आर टी ए. प्रार्थना-पत्र निरस्त हो चुका है। प्रार्थना-पत्र 151 सी.पी.सी. चलाना नहीं चाहते हैं। अतः दिनांक 11.06.2019 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र 151 सी.पी.सी. जरिये Withdrawl खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।